निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 आषाढ़ 1937 (श0)

(सं0 पटना 694) पटना, सोमवार, 22 जून 2015

सं0 3ए–2–वे0पु0–22/2014–5411/वि0

वित्त विभाग

प्रेषक,

दयानिधान पाण्डेय,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0) ,
बिहार, महालेखाकार कार्यालय,
वीरचंद पटेलपथ, पटना।

पटना, दिनांक 19 जून 2015

विषय :– सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के उच्चवर्गीय लिपिकों को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के तहत देय वित्तीय उन्नयन के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के उच्चवर्गीय लिपिकों को सुनिश्चित्त वृत्ति उन्नयन योजना–2003 के तहत प्रोन्नति का पदसोपान विहित नहीं होने के कारण दिनांक 09/08/1999 से प्रथम वित्तीय उन्नयन रु0 4500–7000/– एवं द्वितीय वित्तीय उन्नयन 5000–8000/– में स्वीकृत किया गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना सं०–06, दिनांक 04/01/2008 में सचिवालय सहायक के पद पर प्रोन्नति दिए जाने के उल्लेख रहने के कारण दिनांक 04/01/2008 के प्रभाव से सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का लाभ सचिवालय सहायक के (रु0 5500–9000/–) पुनरीक्षित वेतनमान

PB-2+4600/- तथा द्वितीय उन्नयन का लाभ प्रशाखा पदाधिकारी के (6500-10500/-) पुनरीक्षित वेतनमान PB-2+4800/- में स्वीकृत किया जाता रहा है।

माननीय उच्च न्यायालय में दायर एल०पी०ए० सं०-109/2002 में दिनांक 10/05/2002 को पारित न्यायादेश की कंडिका-6 में यह निर्णय दिया गया कि According to the same the post of Assistant is the promotional post of Lower Division Clerk (for short 'L.D.C.) and Upper Division Clerk (for U.D.C.) After direction issued by the learned Single Judge of this court on 30.11.1999 in the aforesaid writ application on 2012 the State Government took a decision to demerge the post of Assistant in to U.D.C. and Assistant.

उपर्युक्त न्यायांश के आलोक में पत्रांक-8826, दिनांक 20/12/2000 द्वारा पृथक किए पदसोपान को दृष्टिपथ में रखते हुए, पदसोपान के अनुसार वित्तीय उन्नयन दिए जाने की तिथि स्पष्ट करने की अपेक्षा विभिन्न प्रस्तावों एवं आवेदनों के माध्यम से की जाती रही है।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुए कहना है कि ए०सी०पी० नियमावली-2003 की कंडिका-3(2) में यह प्रावधान किया गया है कि "वित्तीय उन्नयन सम्बन्धित सरकारी सेवक को उसके संवर्ग में विद्यमान उत्क्रम के वेतनमानों में मिलेगा और इस प्रयोजनार्थ वित्त विभाग द्वारा विभिन्न पदों के लिए मंजूर वेतनमान ही सुसंगत होंगे।"

चूँकि पत्रांक-8826, दिनांक 20/12/2000 के द्वारा लिपिक संवर्ग की प्रोन्नति का उत्क्रम सचिवालय सहायक के पद में संवर्गीय पद विहित हुआ है और इसी आधार पर गैर-संवर्गीय पद प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति का प्रावधान सुनिश्चित है। ऐसी स्थिति में वैसे उच्चवर्गीय लिपिक जो ए०सी०पी० नियमावली-2003 के अनुसार वित्तीय उन्नयन की योग्यता रखते हो, उन्हें दिनांक 09/08/1999 से 20/12/2000 के मध्य प्रथम वित्तीय उन्नयन 4500-7000/- तथा द्वितीय वित्तीय उन्नयन 5000-8000/- में स्वीकृत किया जाएगा। दिनांक 20/12/2000 के प्रभाव से पूर्व का स्वीकृत वित्तीय उन्नयन वेतनमान 5500-9000/- में तथा 6500-10500/- में स्वतः परिवर्तित हो जाएगा। इस तिथि के बाद देय वित्तीय उन्नयन परिवर्तित वेतनमान में स्वीकृत किया जाएगा।

इस हद तक पूर्व के प्रावधान स्वतः संशोधित समझे जाएंगे।

विश्वासभाजन,

दयानिधान पाण्डेय,

सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 694-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in